(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

रामकिशोर बनाम मदन वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 71 सन् 2025

2025/365

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 1511, 1592, 1624, 636, 637, 666 कुल किता 06 कुल रकबा 0.6828 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेडा, पटवार हल्का कुरेडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 20 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि का मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है एवं उसी अनुरूप भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के मध्य विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है, लेकिन प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 20 का विधिवत् विभाजन कराये ही अजनबी व्यक्तियों को आराजीयात में प्रवेश कराने तथा प्रार्थी को उनके हिस्से बेदखल करने पर आमादा है तथा अन्य के हक में रहन, दान, बेचान, खुर्द बुर्द करना चाहते है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 1511, 1592, 1624, 636, 637, 666 कुल किता 06 कुल रकबा 0.6828 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेडा, पटवार हल्का कुरेडा में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। तलबी प्रतिपक्षीगण जारी हो, यदि इस आदेश के जारी होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 25.07.2025 को पेश हो।	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

25/9/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी/अप्रार्थी गैरहाजिर/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेशिका अनुसार दिनांक 24/9/25......पेश हो।

Ray

24/09/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। अधिवक्ता श्री छितरलाल प्रजापत एड. व श्री विनोद चौधरी एड. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिपक्षी संख्या 03 व शेष की तलबी हेतु दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

08/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व पक्षकारान् अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज सायं 5:00 बजे लगायी गई, कोई उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम ~~व~~ हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)